श्री रणवीर सिंह (कुरुक्षेत्र) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा अपराधशील जातियां.....

श्री महीलाल : मैंने भूतपूर्व शब्द कहा है, सम्भवतः माननीय सदस्य ने सुना नहीं।

श्री रणवीर सिंह : मेरा कहना है कि अपराध शास्त्र किसी को भी, किसी जाति को अपराधशील नहीं मानता है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह गलत है, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री महीलाल : मैंने भूतपूर्व शब्द लगाया था। खेद है कि मेरे साथी पूरा नहीं सुन पाए, और मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश शासन में कुछ जातियों को क्रिमिनल करार दिया जा चुका था और उनको कुछ जगहों पर अहाते बना कर बन्द कर रखा था। कांग्रेस शासन में उस पर से वह कानून हटाया गया और वह जातियां भूतपूर्व अपराधशील जातियां हैं और वही लोग इन बस्तियों में आबाद हैं और वही शराब बनाते हैं और बेचते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request you not to call any tribe as a criminal tribe. It may be the practice of the British Government. But there are criminals in all tribes, in all castes, in all sections.

श्री महीलाल : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि क्या वह यह स्वीकार करेंगे कि इन लोगों के लिए जैसे कि पहले कारखाने खुले हुए थे काम देने के लिए उसी तरह से इनकी बस्तियों में लघु उद्योग के आधार पर कुछ कारखाने खोल दिए जायें और उनमें इनकी महिलाओं और युवकों को काम में लगा दिया जाए? जैसे कि आजादी से पहले लगे हुए हैं, और उनकी भावी सन्तानों के लिए आश्रम टाइप के स्कूल जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में खुलवाए थे, यहां खोल कर उनके लिए लाजमी कर दिया जाए कि उनकी सन्तानों को वहां पढ़ाया जाए और उनके लिए वहीं बोर्डिंग लाजिंग की व्यवस्था कर दी जाए।

श्री० चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो उन्होंने कहा कि जो लोग शराब बेचने का काम कर रहे हैं, या अवैध रूप से शराब बनाते हैं, उनको रोजगार देने का क्या गवर्नमेंट इंतजाम करेगी, और उन्हीं के लिए नहीं बल्कि भावी सन्तानों के लिए भी? तो यह सवाल तो उठता नहीं है, अगरचे मेरे पास इलाज तो है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता।

दूसरा प्रश्न था कि सरसूनिया साहब ने मार्च के आखिर में पत्र लिखा था। 26 मार्च को इस गवर्नमेंट ने शपथ ली है और 26 के बाद लिखा होगा तो मुझे याद नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने उसे आई० जी० के पास भेज दिया, पता लगता है कि रिपोर्ट नहीं आई। हो सकता है कि आई० जी० के पास भेज दिया हो, शायद मैंने रिपोर्ट मांगी नहीं। अगर मांगी होती तो रिपोर्ट जरूर भेजी गई होती। आप कहते हैं कि उसके बाद सरसूनिया साहब ने दो पत्र सीधे लिखे, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसके बारे में मैंने अपने जवाब में कहा है कि अगर उन्होंने पत्र लिखे और आई० जी० ने कार्यवाही नहीं की तो मैं उसकी तहकीकात करूंगा। अपने इस जवाब को मैं दोहराता हूं।

11·45 hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

FIRST REPORT

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Sir, I beg to present the First Report of the Committee on Subordinate Legislation.